

आदेश

प्रा10 पत्र 07 / 2023

निर्णय दिनांक 29.04.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सुलताना में स्थित खसरा नम्बर 145 रकबा 1.50 हैक्ट. की प्रार्थी व सहखातेदार व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्पत्तिक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबित सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 पत्थरगाढी की जावे। दौराने पत्थरगाढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार चिड़ावा को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



रूप खण्ड अधिकारी

चिड़ावा जिला झुंझुर् (राज.)